

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

फौजासिंह आदि बनाम लच्छोबाई आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आरटीएक्ट

वाद पत्र संख्या :- 25 / 2023

GCMS संख्या :- 2023 / 68

13.04.2023 यह पत्रावली वादीगण की ओर से एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आरटीएक्ट के तहत जरिये वकील श्री सीताराम टाक के प्रस्तुत करने पर पेश हुई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 16.05.2023 को पेश हो।

16.05.23

पत्रावली पेश। श्रीमान पी.ओ. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर/ मुख्यमन्त्र से बाहर है। पत्रावली पूर्वानुसार दि. 14.08.23 को पेश हो।

12.07.23 पत्रावली पेश हुई वकील वादी के प्रार्थना

पत्र प्रस्तुत करने पर। वादीगण द्वारा प्र.पत्र प्रस्तुत कर Not Press के आधार पर वादपत्र वाजिब करने का निवेदन किया गया। अतः वादीगण का प्रार्थना पर स्वीकार किया जाकर वादीगण का वादपत्र Not Press के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली काद तरीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई)
R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

अ.प.चि
मिलालिका सिंह
21/8
फौजासिंह
भा.ठ
अ.प.चि/ठ
अ.प.चि